

प्रश्न:- सत्ता क्या है? इससे खेतों तथा शीमाओं का वर्णन करें।

उत्तर:- सत्ता को राजव्यवस्था की शरीर का आत्मा कहा गया है। वह विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे- शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व आदि का मूल उपकरण है। उसी माध्यम से समन्वय, विनिश्चय, निर्माण, पदसंग, अनुशासन, प्रत्याखोजन आदि प्रक्रियाएं संभव होती हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। और राजनीति जीवन में सत्ता की अहमता नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण कर रहा होता है। लोकतंत्र में अधीनस्थों अर्थात् जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। राजव्यवस्थाओं स्वयं राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक लड़कों की प्राप्ति इसी से संभव होती है।

Meaning of Authority :- अन्तर्राष्ट्रीय समाजविद्वानों के ज्ञान कोष के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। (1) किसी कार्यालय अथवा व्यक्ति की क्षमता के रूप में (2) कार्यालयों के वरिष्ठता अधीनस्थ अधिकारियों के बीच संबंधों के रूप में (3) सत्ता का वह गुण जिससे शासन पर उसे स्वीकार किया जाता है अपने सभी लोगों में सत्ता शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व से जुड़ी हुई है। वायर्सटेट के अनुसार, "सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थापक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। बीच (Beach) - "दूसरे के अधिकार निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं।" शीबे के शब्दों में, "किसी व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूहों को हमारे राजनीतिक निश्चयों के निर्धारण तथा राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने का अधिकार है। UNESCO के एडु. Reboza के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित ज्ञान एवं औचित्यपूर्ण है।

Nature of Authority :- सत्ता की प्रकृति के सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो विचारों का प्रतिपादन किया गया है वे दोनों ही सिद्धांत Prof. Beach द्वारा प्रतिपादित किये जाते हैं, जो निम्न हैं :-

(a) औपचारिक सत्ता सिद्धांत - इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता की प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं स्वयं संगठनों में विद्यमान एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इससे आदेश सत्ता का एक पदसंग बन जाता है।

सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण इसे स्वीकार किया जाता है। मैडगवर् ने इसे 'ज्ञान का जादू' कहा है। यह व्यक्ति को आदेश देता है, वह मले ही अपने अधीनस्थों को अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक श्रेष्ठ न हो और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य अधिकारों से श्रेष्ठ न हो। उनी-उनी को उनका स्तर इन सबके नीचा भी हो सकता है लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश अथवा निर्देश देता है और उससे आदेशों का पालन किया जाता है।

(b) स्वीकृति सिद्धांत :- व्यवहारवादी या मानवसंबन्धवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विचार न रखते हुए 'स्वीकृति सिद्धांत' का प्रतिपादन करता है। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्तियों के अनुसार सत्ता अज्ञानी रूप से केवल औपचारिक होती है किन्तु वास्तव में सत्ता का आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी क्षमता और योग्यता के कारण आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति 'सत्ता स्थिति' बन जाती है। Bertram ने अपनी रचना 'The functions of the executive' में अधीनस्थ अधिकारों को स्वीकार करने के लिए चार शर्तें बतायी हैं- (1) अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा बुझना के लक्ष्यता हो या क्षमता लक्ष्यता हो (2) अपने निश्चय करने के क्षमता अथवा यह विचार्य है कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ संगत नहीं है (3) निर्णय लेने के क्षमता में वह यह क्षमता है कि यह

समग्रता से रूप में सम्बन्धित आदेशों उससे व्यक्तित्वगत हितों से अनुसृत है (v) वह मानसिक और आर्थिक दृष्टि से उस आदेश की अनुपालन करने की क्षमता रखता है।

**Sources of Agency :-** कानून की अवधारणा की विवेचना सुत्रांत, लैटिन और आंग्ल-संस्कृत आदि से लभ्य है। किन्तु इसकी विस्तृत विश्लेषण 20 वीं सदी के राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्रीय विश्लेषण में सबसे अधिक प्रयुक्त की गयी है। उल्टे अनुसार अपने क्षेत्र में आचार पर कानून की प्रतीति होती है।

**परम्परागत (Traditional):-** जब प्रजा या अधीनस्थ तथित अधिपतियों से आदेशों से इस आचार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा उचित है तो यह परम्परागत कानून कहलाती है। इस प्रकार की कानून में प्रथाओं, तर्कों एवं संवेदना-आचारी होता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आदेशपालन परम्पराओं से प्रतीति विज्ञान व्यक्तित्व से कारण करते हैं। जैसे 'राजतन्त्र में राजा'।

**वैधानिक नोटशाही कानून (Legal Bureaucratic Agency):-** जब अधीनस्थ किसी नियम से इस आचार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उत्तमस्वीय अमूर्त नियमों से लभ्य है, जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इसे वैधानिक नोटशाही कानून कहते हैं। यह आधुनिक नोटशाही को अपने विस्तृत रूप में प्रकट करता है। इसमें कानून का प्रत्याभोजन बौद्धिक आचार पर किया जाता है और इर्मचारिण वैधानिक रूप से स्थापित नियंत्रित अधिपतियों से आचार पर आदेशपालन करते हैं।

**उत्तरिमात्मक कानून (Charismatic Agency):-** जब अधीनस्थ तथित कानूनकारी से आदेशों से इस आचार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उनपर कानूनकारी का व्यक्तित्व प्रभाव है, तब इसे उत्तरिमात्मक कानून कहते हैं। इस कानून दिग्दर्शक में प्रायः कोई प्रत्याभोजन नहीं होता और अधीनस्थ अधिका उर्मचारी कानूनकारी से व्यक्तित्व सेवक से रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता से उत्तरिमात्मीय एवं आदर्शवाद व्यक्तित्व से कारण उभरे आदेशों का पालन करते हैं। मैक्सवेबर इसे ही- प्रौढिक-धर्म कानून की दर्जा देता है।

### Limitations of Agency :-

- कानून की अवधारणा में अति से मनमाने ढंग से प्रयोग से स्वीकार नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कानून पर निम्नलिखित प्रतिबंध होते हैं ताकि कानून का मनमाना प्रयोग न हो
- (i) कानून पर आंतरिक तथा बाह्य प्रतिबंध होते हैं जो कानून को मनमाना करने से रोकता है।
  - (ii) कानून पर प्राकृतिक प्रतिबंध होते हैं।
  - (iii) कानून पर उद्देश्यगत प्रक्रिया सम्बन्धी प्रतिबंध होते हैं।
  - (iv) कानून पर संरक्षित, परम्पराओं, लक्ष्यों तथा नैतिक धारणाओं का प्रतिबंध होता है।
  - (v) कानून पर वैधानिक उर्मतों तथा नियमों का प्रतिबंध होता है।
  - (vi) कानून पर राजनैतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है।
  - (vii) कानून का संचालन आर्थिक तन्त्रिका तथा भौतिक पर्यावरण में होता है।
  - (viii) इर्मचारियों की धर्मिकता भी कानून से सम्बन्धित करती है।

**Functions of Agency :-** कानून का कार्य असीमित है, क्योंकि उसे विभिन्न उद्देश्यों से लिये अनेकानेक व्यवस्थाओं में अलग-अलग परिदृश्यों में कार्य करना होता है। कानून ही सम्बन्धित नियंत्रण, प्रत्याभोजन, अनुशासन आदि से अलग-अलग प्रकृतिक होती है। व्यवस्थाओं में प्रतिमान,

संचारण, लक्ष्य प्राप्ति आदि कार्य एता के द्वारा ही किये जाते हैं। एता उपयुक्त कार्य निरन्तर विमिश्रण निर्माण प्रक्रियाओं द्वारा उरती है। यही कारण है कि हरबर्ट आसमन ने विमिश्रण निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया है। एताकारी अपना कार्य स्वयं या अन्य भव्यनस्य उत्तराधिकारियों के माध्यम से उरता है। इसे लिए विभिन्न संचार-लाभनों, प्रियाविधियों आदि का प्रयोग किया जाता है।

**Authority and Power :** - राजनेति संगठन उन संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं जो कि बल प्रयोग का नियमन उरती हैं। वे लागूकिय लक्ष्यो और नेतृत्व से सम्बंधित होती हैं। इसमें शक्ति और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शक्ति व्यक्तियों, समूहों तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य उरने की शक्ति का नाम है। एता शक्ति देने की शक्ति का नाम है। शक्ति को अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण उरने की योग्यता के रूप में देखा जा सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों पर धोपा जा सकता है। इतिहास में अनेकानेक ऐसा उदाहरण मिले पड़े हैं, जिसमें दूसरे राज्यों का अनाधिकार ग्रहण किया अथवा उन पर विजय प्राप्त की गयी, परंतु बाद में धीरे-धीरे जन स्वीकृति प्राप्त हो गया और वे सत्ता बन गये। सत्ता के बिना शक्ति असंस्थागत, अलाभनात्मक तथा अनिश्चित होती है।

**Authority and Influence :** - सत्ता प्रभाव की तरह दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया का नाम है। जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सुचनाओं को प्राप्त करे और उनसे आचार पर स्वैच्छापूर्वक अपने निर्णय पर पहुँचता है तथा ऐसा निर्णय प्रभाव के व्यक्तित्व, मूल्यों एवं नेतृत्व आदि की सुगलताओं के कारण, उसके व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, तो उद्ये प्रभाव कहा जाता है। जिन व्यक्तियों पर प्रभाव डाला जाता है वह सम्मति एवं सुझाव दे सकते हैं, विचार-विमर्श में भाग ले सकते हैं तथा अनुभव विनय कर सकते हैं, ऐसा प्रभावित व्यक्ति शक्ति प्रभाव को एताकारी नहीं कहलाता। एता, औपचारिक, निश्चित एवं विशिष्ट होती है। एता का अनुपालन वर्गेर किसी तर्क-वितर्क या विचार-विमर्श के आदेशों का पालन उरता है। वह एताकारी विमिश्रण को अपना विमिश्रण बना देता है। एता की लक्ष्यता शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व आदि के स प्रउर होती है। जबकि प्रभाव अधिक शान्तात्मक शक्तिशाली एवं दृढ़ होता है।

**Authority and Legitimacy :** - एता ऐसे व्यक्तियों तथा व्यक्तिसमूहों से सम्बंधित होती है जिन्हें राजनेति एवं प्रशासनिक विमिश्रण लाने तथा व्यवहार को प्रभावित उरने का अधिकार होता है। यह अधिकार उल्लिख नहीं दिया जाता है कि प्राधिकारियों से उद्गत होते हैं। यह को "औचित्यपूर्ण" कहा जाता है। एता की उल्लेखता अधिकतम औचित्यपूर्णता पर उरती है। औचित्यपूर्णता के अभाव में एता प्रभावहीन हो जाती है और अन्ततः इसे बल-प्रयोग का शक्ति का लक्ष्य लाना पड़ता है। इसके राजनेति प्रभाव की मात्रा कम हो जाती है और शासपालन की राजनेति कीमत बढ़ जाती है।

Dr. Akhlesh Ahluwalia  
(Assistant Professor)  
Dept. of Pol. Sc.  
D.K. College, Dabraon